75 22 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों में जिनके लिए मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन आवश्यक होता है, उनमें अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय पदों पर अतिरिक्त प्रभार सौंपने की व्यवस्था हेतु सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित दिशा निर्देशों का उल्लेख है।

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तरीय अतिरिक्त प्रभार हेतु प्रारम्भिक तीन माह की अवधि के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा;

(ख) तीन माह की अवधि के बाद अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था जारी रखने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी; और

(ग) यदि एक वर्ष के बाद भी इस व्यवस्था को जारी रखना है तो केन्द्रीय सतर्कता आयोग का नया अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

(घ) जब अतिरिक्त प्रभार किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पदाधिकारी या मंत्रालय के किसी अधिकारी को सौंपा जाता है तो मुख्य सतर्कता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं होगा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

2. बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों जिन्हें उनके ही संगठन में या उसी मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत अन्य संगठन में किसी अतिरिक्त प्रभार सौंपने हेतु सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के विषय पर सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श के साथ आगे विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि अब से आगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पदाधिकारियों के संदर्भ में अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था हेतु आयोग से इस प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक संबंधित विभाग के अधिकार में ऐसे तथ्य न हों जिनके आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि पदधारी के संदर्भ में बोर्ड स्तरीय नियुक्ति हेतु पिछली बार दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरांत सतर्कता स्थिति में बदलाव आया है। पूर्वगामी पैरा में उल्लेखित रूप से मुख्य सतर्कता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता जारी रहेगा।

3. पूर्व के अनुदेश जैसा कि ऊपर पैरा 1 में उल्लेख किया गया है, उन मामलों में लागू होना जारी रहेगा जहां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कार्यात्मक निदेशक या मंत्रालय के किसी अधिकारी को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपना प्रस्तावित है।

4. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन हेतु नोट करें। इस कार्यालय ज्ञापन की पावती देने की कृपा करें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(23)/2005–जीएम, दिनांक, 16 अक्टूबर, 2008)

*****